न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री समदर सिंह भाटी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 103/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
देवाराम पुत्र लिछमणाराम जाति जाट निवासी दरगुड़ा तहसील सिणधरी		1. लुम्भाराम पुत्र खंगाराराम 2. बाबूराम पुत्र खंगाराराम 3. रूपाराम पुत्र खंगाराराम 4. आसूदेवी पत्नि खंगाराराम 5. भूराराम पुत्र मानाराम 6. शम्भूराम पुत्र मानाराम 7. हीराराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी दरगुड़ा तहसील सिणधरी 8. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 08 की ओर से उपस्थित।

3.विप्रार्थी संख्या 01 से 07 एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 20.11.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:31 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है [illegible] की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 25/8 क्षेत्रफल 5.9381 हैक्टर ग्राम दरगुड़ा पटवार [illegible] कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी सं. 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 26 रकबा 3.4706 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 5 से 7 के ख[illegible] खसरा संख्या 25/2 रकबा [illegible]4522 हैक्टयर ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 7 की उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 26, 25/2 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 7 की तरफ से स्वयं उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए बिना प्रतिफल के वाछिंत रास्ता दिये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। विप्रार्थी संख्या 08 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 25/8 क्षेत्रफल 5.9381 हैक्टर ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 26 रकबा 3.4706 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 5 से 7 के खेत खसरा संख्या 25/2 रकबा 33.4522 हैक्टयर ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 7 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है।उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। जिसकी पुष्टि विप्रार्थीगण स्वयं द्वारा करते हुए अभिकथनों में बिना प्रतिफल प्राप्ति के तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिण[illegible]पोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर [illegible] किया और पत्राव[illegible] राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य [illegible]थ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 25/8 क्षेत्रफल 5.9381 हैक्टर ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 26 रकबा 3.4706 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 5 से 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

के खेत खसरा संख्या 25/2 रकबा 33.4522 हैक्टयर ग्राम दरगुड़ा पटवार मण्डल कादानाडी तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 7 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी मौका जांच अनुसार रास्ते हेतु ग्राम दरगुड़ा के खेत खसरा संख्या 25/2 में लम्बाई 290 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.1740 हैक्टयर का एवं खसरा संख्या 26 में लम्बाई 140 मीटर चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0840 हैक्टयर रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–251000/– रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम दरगुड़ा के खेत खसरा संख्या 25/2 में लम्बाई 290 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.1740 हैक्टयर का एवं खसरा संख्या 26 में लम्बाई 140 मीटर चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0840 हैक्टयर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ———दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को विप्रार्थी संख्या 01 से 07 को क्षतिपूर्ति की गणना कर भुगतान हेतु तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./2024/3188 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(समदर सिह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.11.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी